करें।

निदेशक

शासनादेश संख्या : 2147 / नौ-2-2011-3आडिट / 2008

नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2011

विषयः स्थानीय निकायों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर निर्माण कार्य सुनिश्चित कराया जाना।

महोदय,

नगर पालिका परिषद सम्भल, मुरादाबाद में सी.सी. रोड के निर्माण में ठेकेदार को अधिक भुगतान किये जाने के प्रकरण की आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद से करायी गयी जांच में शासन के संज्ञान में यह आया कि सी.सी. रोड के लिये लोग निर्माण विभाग का सेड्यूल उपलब्ध न होने के कारण अवर अभियन्ता द्वारा स्वयं विश्लेषण करके स्वतः रेट निर्धारित किया गया। उक्त रेट को समक्ष अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से परीक्षण कराया जाना आवश्यक था, जो नहीं कराया गया।

2. निर्माण कार्यों का सेड्यूल ऑफ रेट लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है। उक्त रेट ही सभी कार्यों पर मान्य होता है। जहाँ लोक निर्माण विभाग का सेड्यूल ऑफ रेट उपलब्ध नहीं होता है, वहाँ दर का निर्धारण कर सक्षम अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग से सत्यापन कराया जाता है। लोक निर्माण विभाग का सेड्यूल उपलब्ध न होने की स्थिति में रेट का लोक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराये बिना भुगतान की कार्यवाही किया जाना एक ओर जहाँ वित्तीय अनियमितता की ओर इंगित करता है वहीं दूसरी ओर स्थानीय निकायों के आर्थिक हितों के विपरीत है।

3. उपर्युक्त समस्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समस्त स्थानीय निकायों में निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित रेट पर ही सम्पादित कराया जाये। जहाँ लोक निर्माण विभाग का सेड्यूल ऑफ रेट उपलब्ध न हो वहाँ दर का लोक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराये जाने के पश्चात् ही कार्य सम्पन्न कराया जाये।

4. कृपया उक्त निर्देशों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

प्रमुख सचिव